भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3793**
दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया का विनिवेश

3793. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों का विनिवेश करने का विचार है और यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) विनिवेश की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने एअर इंडिया के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एअर इंडिया को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा एअर इंडिया के वित्तीय स्वास्थ्य पर इस सहायता का क्या परिणामी प्रभाव रहा है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) नीति आयोग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नीतिगत विनिवेश पर दिनांक 12 मई 2017 की अपनी सिफारिशों में एअर इंडिया के विनिवेश के लिए औचित्य प्रस्तुत किया था और विभिन्न अन्य कारणों सहित कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया था। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने एअर इंडिया पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक परिपक्व और प्रतिस्पर्धी विमानन बाजार में और अधिक वित्तीय सहायता सरकार के दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया और इसकी पांच सहायक कंपनियों के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% अंशधारिता तथा एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% अंशधारिता सहित एअर इंडिया में भारत सरकार के 100 प्रतिशत भाग के नीतिगत विनिवेश के लिए रूचि अभिव्यक्ति का प्रारंभिक सूचना ज्ञापन दिनांक 27.01.2020 को जारी किया गया है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण, ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि को समय-समय पर बढ़ाया गया था। अंतत:, ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14.12.2020 थी। विनिवेश की प्रक्रिया के अनुसार, किसी समूह या निकाय द्वारा पीआईएम के प्रतिउत्तर में रुचि अभिव्यक्ति को संव्यवहार सलाहकार को प्रस्तुत की जानी थी। प्राप्त ईओआई के मूल्यांकन के पूरा होने के पश्चात, संव्यवहार सलाहकार पात्र इच्छुक बोलीदाताओं को सीधे उनकी अर्हता और प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में सूचित करता है।

अन्य सहायक कंपनियों के संबंध में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया की पांच सहायक कंपनियों के नीतिगत विनिवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड नीतिगत विनिवेश के लिए ईओआई को आमंत्रित करने वाला पीआईएम दिनांक 12.02.2019 को जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।

(ग) और (घ) विनिवेश के लिए एअर इंडिया को प्रभावी रूप से तैयार करने हेतु, सरकार ने एअर इंडिया में प्रचालनिक और वित्तीय कुशलता प्राप्त के लिए एक योजना तैयार की है। यह योजना वित्तीय और प्रचालनिक कुशलता पर केंद्रित है और सरकार द्वारा पैरामीटर तथा माइलस्टोन निर्धारित किया गया है जिसकी नियमित रूप से मानीटर की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड को प्रदान की गई कुल इक्विटी सहायता निम्नानुसार है:-

वर्ष.....भारत सरकार द्वारा इक्विटी सहायता (रुपए करोड़ में)
2020-21.....शून्य
2019-20.....0.01
2018-19.....3,975
2017-18.....1800
2016-17.....2465.21

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, एअर इंडिया को 964 करोड़ रुपये की भारत सरकार गारंटी सहायता प्रदान की गई है, जिससे उन्हें भारतीय बैंकों से नए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए 6693 करोड़ रुपये की मौजूदा भारत सरकार गारंटी और विमान ब्रिज ऋणों के पुन:वित्तीयन हेतु 819 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि भी प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एअर इंडिया को 4500 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) ऋण भी प्रदान किया गया है।

*****